तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
5/3/26	पत्रा. पेश। वकील पक्ष उप०। वास्ते बहस अन्तरिम राहत 13/3/26 को दिया जाय पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
13/3/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. ... मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते बहस अन्तरिम दिनांक 2/4/26 को पेश हो।	
2/4/26 No Instruction 2-4-26	पत्रा. पेश। वकील पक्ष उप०। वास्ते बहस कुनी नहीं बहस 13/4/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
13/4/26.	पत्रा. पेश। वादी द्वारा धारा 88, 188 RT Act एवं 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत दावा पेश किया गया है। वादी का कथन है कि ग्राम नूरपुरा पटवार क्षेत्र मदनपुरा चेचट तहसील में स्थित पुराना खसरा नं मिन 20 की रकबा 10 बीघा वादी के पिता को अलोट हुई थी वादी वहीं पर काबिज	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काश्त चले हुए थे। रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 20/7/2009 की रिलीज डीड से वादी काबिज काश्त चला हुआ था। सेटलमेन्ट के बाद वादी के कब्जे की भूमि पुराना खसरा व नक्शा परिवर्तन कर जमाबंदी 2004-2024 में गलत अंकन कर खसरा न. 51 व खाता संख्या 234 दर्ज कर दिया। वादी के वास्तविक कब्जे काश्त की भूमि खसरा न. 42 पर वादी ने ट्यूबवेल लगा रखा है। अत: वादी का अनुतोष है कि खसरा न. 51 रकबा 1.62 है. भूमि भू-अभिलेख से हटाकर पुन: खसरा न. 42 रकबा 1.62 है. भूमि का इंद्राज दुरुस्त किया जावे व नक्शा, खाता व पुराने खसरा न. कब्जे काश्त के आधार पर कायम किया जावे। प्रतिवादी 1-3 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण खसरा न. 42 के टुकड़े दर्ज होकर 602/42 / 0.80 गैर खातेदार पाँचीबाई, 603/42 / 0.57 गैर खातेदार बापूलाल, 626/42 / 0.80 गैर खातेदार रमेश के नाम दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म ... में ...
	पत्रावली का अवलोकन किया गया।	

(1) जमाबंदी 2052-56 खसरा न. मिन 20 रकबा 10 बीघा लक्ष्मणसिंह बल्द मदनसिंह के खाते दर्ज है।

(2) जमाबंदी 2004-2024 खसरा न. 51 रकबा 1.62 हे० लक्ष्मण सिंह बल्द मदनसिंह के खाते दर्ज है।
नामा. सं. 692 से विरासत से मृतक लक्ष्मण के स्थान पर नरवर सिंह गिरवर सिंह हरिराज सिंह मोहनसिंह मूलकंवर बाई बेवा लक्ष्मण सिंह के नाम खाते दर्ज हुआ।
नामां सं 754, 773 से हकत्याग से जर्ये रिलीज़ डीड से गिरवर सिंह, हरिराज सिंह, मूलकंवर का हिस्सा नरवर सिंह के खाते दर्ज हुआ।

(3) नकल खसरा गिरदावरी के अनुसार खसरा नं. 50 रकबा 1.62 हे० भंवर सिंह व खसरा नं. 51 रकबा 1.62 हे० लक्ष्मण सिंह के खाते दर्ज था।

(4) मिलान क्षेत्रफल अनुसार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा 50 रकबा 1.62 है० पुराने खसरा 20 मिन 10 बीघा से कायम हुआ है। खसरा 51 रकबा 1.62 है० पुराने खसरा 20 मि. 10 बीघा से कायम हुआ है। खसरा 42 रकबा 2.20 है० पुराने खसरा 20 मि. 15 बीघा से कायम हुआ है। ⑤ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आदेश दिनांक 18-1-2011 के अनुसार पीचीबाई ग्राम नूरपुरा को खसरा 42 का 0.80 है०, रमेश को खसरा 42 का 0.80 है० व बापूलाल को खसरा 42 का 0.57 है० भूमि आवंटन की गई थी। ⑥ TDR द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार – a) खसरा न. मि. 20 रकबा 10 बीघा जिसका नया खसरा न. 43 रकबा 1.62 है० बना जो वर्तमान में खातेदार ममता कंवर उर्फ मनीषा के खाते दर्ज है व मौके पर भी वही है।	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

b) खसरा न. मि. 20 रकबा 15 बीघा जिसका नया खसरा न. 42 रकबा 2.20 है। है वर्तमान में खसरा 42/0.03 शिवायचक, 602/42 0.80 गैर खातेदार पाँचीबाई, 603/42 0.57 गैर खातेदार बापूलाल, 626/42 0.80 गैर खातेदार बापूलाल के खाते दर्ज है। मौके पर नरवर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह काश्त कर रहा है।

c) ख.न. मि. 20 रकबा 10 बीघा जिसका ख. न. 51 रकबा 1.62 है बना जो नरवर सिंह हिस्सा 4/5 व मोहनसिंह हिस्सा 1/5 के खाते दर्ज है। मौके पर कुछ भूमि पर कच्चे मकान व बाड़ है तथा शेष भूमि पड़त है।

वादी द्वारा अपने वाद में यह कथन है कि पुराना खसरा मिन 20 की रकबा 10 बीघा स्थित रही है जो वादी के पिता को अलोट हुई। इसका सेटलमेंट के बाद खसरा 51 बना। जबकि खसरा 42 जो वादी

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
claim कर रहा है वह पुराने मिन ~~खसरा~~ खसरा 20 की रकबा 15 बीघा से बना है। वादी द्वारा न तो कोई भूमि आवंटन आदेश या नक्शा पेश किया गया जिससे यह साबित हो सके कि सेटलमेंट द्वारा खसरा कायम करने में त्रुटि की गई है। वादी कब्जे के आधार पर खसरों में बदलाव चाहता है जो उचित नहीं है। वादी जिस भूमि पर खातेदारी अधिकार चाह रहा है उसका रकबा वादी के कथनों से भिन्न है। दस्तावेज़ अनुसार यह प्रतीत नहीं होता कि ~~वादी~~ सेटलमेंट ने नए खसरा कायम करने में गलती करी है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं है। निर्णय आज दिनांक 13/04/2026 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)